दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 26-06-2025

भास्कर खास

पत्नी की क्रूरता साबित होने पर पति को तलाक की मिली मंजूरी

हाई कोर्ट ने कहा- बेवजह अलग रहना और झूठे केस करना पति के लिए मानसिक यातना, फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पति को तलाक की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि पत्नी का बिना उचित कारण के सालों तक पति से अलग रहना, सास की बीमारी में साथ न देना, और पति-ससुर पर झूठे आपराधिक प्रकरण दर्ज कराना, पति के लिए मानसिक क्रूरता के बराबर है। हाई कोर्ट ने रायपुर के फैमिली कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। फैमिली कोर्ट ने तलाक के आवेदन को खारिज कर दिया था।

पेंड्रा निवासी व्यक्ति की शादी रायपुर निवासी महिला के साथ मार्च 2014 को पेंड्रा में हिंदू रीति रिवाजों से हुई थी। एक साल बाद उन्हें एक बेटा हुआ। कुछ ही समय बाद रिश्तों में खटास आ गई और 2016 से दोनों अलग-अलग रहने लगे। इस दौरान पति की मां गंभीर रूप से बीमार हुई। इलाज के दौरान दिसंबर 2014 को उनका निधन हो गया, लेकिन पत्नी न तो इलाज के समय साथ गई और न ही अंतिम समय में उपस्थित रही। सिर्फ दो दिन के लिए आई और फिर अपने मायके चली गई।

पत्नी ने पति के खिलाफ दर्ज कराए झूठे केस

पत्नी ने पति और उसके परिवार के खिलाफ झूठे आपराधिक केस दर्ज कराए, जिनमें धारा 498ए, 294 और 506 जैसी धाराएं लगाई गई थीं। लेकिन बाद में कोर्ट ने पति को सभी आरोपों से बरी कर दिया। आखिरकार पति ने रायपुर के फैमिली कोर्ट में तलाक की मांग करते हुए आवेदन दिया। हालांकि फैमिली कोर्ट ने जनवरी 2024 में पति के आवेदन को खारिज कर दिया।

काउंसिलिंग में साथ जाने से किया इनकार

कोर्ट में सुनवाई के दौरान पत्नी ने यह स्वीकार किया कि वह नवंबर 2016 से मायके में रह रही है। उसने स्वीकार किया कि उसने न तो वैवाहिक अधिकार बहाल करने कोई केस प्रस्तुत किया। और न ही पति के पास वापस लौटने की कोशिश की। काउंसिलिंग के दौरान भी उसने पति के साथ जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पति ने फैमिली कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी।

कोर्ट ने माना- पति को तलाक का हक

हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी का व्यवहार पति के लिए मानसिक पीड़ा देने वाला था। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि विवाह के बाद यदि पत्नी सहयोगी नहीं रहती, परिवार से दूरी बनाती है। बार-बार झूठे आरोप लगाती है, तो यह क्रूरता के अंतर्गत आता है। हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का सही मूल्यांकन नहीं किया ।